भारत सरकार Government of India
सत्यमेव जयते

सलाम उस बाप को जिसने बेटी की कम उम्र में शादी की नहीं बल्कि शिक्षा की सोची

18 से पहले बेटी, बच्ची होती है और उसकी सही ज़रूरत शिक्षा है। इसलिए वह पिता सम्मान के योग्य है जो बेटी को शिक्षित कर ज़िंदगी की हर ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। साथ ही उसकी शादी की तभी सोचता है जब वह शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार होती है यानि 18 के बाद ही।

बाप वाली बात

बेटी की शादी 18 के बाद

unicef
unite for children

18 से पहले लड़की की शादी कानूनन जुर्म है।